MR. CHAIRMAN: Question No. 82.

*82. [*The questioner* (*Shri Suresh Pachouri*) *was absent.* For answer *vide* Col. 33-34 infra]

MR. CHAIRMAN: Question No. 83.

मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों की स्थिति का सर्वेक्षण

*83. **श्री अजीत जोगी** :†
कुमारी आलिया :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों की समस्याओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रयुक्त आधिक अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय परिषद् (एन सी ए ई आर) के माध्यम से वर्ष 1987-88 में राज्यवार राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाया गया था। इस सर्वेक्षण में करघों की संख्या, घरेलू बुनकर परिवारों की संख्या, बुनकरों की आय, आदि की जानकारी एकत्रित करना था। इस सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल थे।

(ख) उत्तर प्रदेश में 2.6 लाख करघे हैं जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्रमशः 68,000 और 48,000 करघे हैं। इन तीनों राज्यों में अधिकांश करघे सूती कपड़े के उत्पादन में कार्यरत हैं। उनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार है:—

उत्तर प्रदेश	1.45 लाख
महाराष्ट्र	62,000
मध्य प्रदेश	40,000

उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में रेशम बुनाई का कार्य किया जाता है जिसके लिये 67,000 करघे कार्यरत हैं जबकि इस कार्य के लिये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्रमशः केवल 1000 और 4000 करघे कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में 11,000 करघों से मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है जबकि दोनों अन्य राज्यों में बहुत कम करघों से ऐसा कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तीनों राज्यों में प्रति करघा उत्पादन, राष्ट्रीय औसत उत्पादन जो 5.2 मीटर है से कहीं अधिक है। इन तीनों राज्यों में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन अर्थात 12.06 मीटर उसके उपरांत उत्तर प्रदेश में 11.31 मीटर और फिर महाराष्ट्र में 8.33 मीटर प्रति करघा उत्पादन होता है। बुनाई कार्यकलाप में कार्यरत घरेलू परिवार उत्तर प्रदेश में 1.89 लाख, महाराष्ट्र में 51,000 और मध्य प्रदेश में 36,000 हैं।

बुनाई कार्यकलापों पर उत्तर प्रदेश में 6.40 लाख लोग निर्भर करते हैं जबकि महाराष्ट्र में 1.34 लाख और मध्य प्रदेश में केवल 76,000 लोग निर्भर करते हैं। इन तीनों राज्यों में हथकरघों पर बनाए जा रहे मुख्य उत्पाद सूती साड़ी और धोती, रेशमी साड़ियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, लुंगियां गमछा, बैडशीट, दरी (मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में) हैं। उत्तर प्रदेश में, ऊनी शॉलें जैसे शाल कम्बल और पोलियस्टर कमीज और सूट का कपड़ा भी तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश टसर और सूती/रेशमी चंदेरी साड़ियों के लिए लोकप्रिय है।

(ग) इस सर्वेक्षण को ध्यान में रखते सरकार ने अपनी नीतियों में कई परिवर्तन कि

†सभा में यह प्रश्न श्री अजीत जोगी द्वारा पूछा गया।

हैं और चालू वर्ष में कार्यान्वयन के लिये तथा अंतिम रूप दिये जाने पर इन्हें आठवीं योजना में शामिल करने के लिये कई नई योजनाएं तैयार की गई हैं । इस सर्वेक्षण के आधार पर घोषित नई योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना ।
2. निःसहाय बुनकरों के लिये मार्जिन मनी ।
3. प्रोजेक्ट पैकेज योजना ।
4. संशोधित कार्यशाला-सह-आवास योजना ।
5. संशोधित थ्रिफ्ट फंड योजना ।
6. समूह बीमा योजना ।

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, इस समय राष्ट्र का बुनकर बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, उसकी भुखमरी की हालत बन गई है और कुछ अपुष्ट खबरों के अनुसार कुछ बुनकरों को आत्म-हत्या तक करनी पड़ी । मेरा मुख्य प्रश्न उनकी समस्या के संरक्षण के संबंध में था और उनकी समस्या मुख्यतः इसलिये है क्योंकि पावर लूम और कम्पोजिट मिलों की प्रतिस्पर्धा में बुनकर ठहर नहीं पा रहे हैं । ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि बुनकरों की इस संकटकाल में मदद करने के लिये क्या उनको सूत समय पर और अच्छे दाम पर पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिये क्या नई पहल की जा रही है, उनके द्वारा जो माल तैयार किया जा रहा है वह बिक जाए, इसके लिये क्या पहल की जा रही है ? क्या जो टेक्सटाइल पालिसी बनाई गई थी उसमें संशोधन करके कुछ ऐसे नये सेक्टर्स हैं, जो हैण्डलूम के लिये रिजर्व कर दिये जाएंगे और पावर लूम और कम्पोजिट सेक्टर्स के लिये मनाही कर दी जाएगी कि वे उन सेक्टरों के कपड़े को न बनाएं ? क्या सरकारी दफ्तरों को यह निर्देश दिया जाएगा कि केवल खादी और हैण्डलूम के ही कपड़े खरीदें, जिस तरह साड़ियों का जो कोटा कम किया जा रहा था, क्या वह कम नहीं किया जाएगा और क्या बुनकरों . . . (**व्यवधान**) ।

श्री सभापति : एक सप्लीमेंटरी में कितने सवाल पूछेंगे ?

श्री अजीत जोगी महोदय, सवाल एक ही है ।

श्री सभापति : आपके सवाल गिनाऊं ? आपके पांच सवाल हो गये हैं ।

श्री अजीत जोगी : मैं यह जानना चाहता हूं कि बुनकरों की मदद करने के लिये क्या कदम उठाए जाएंगे ? क्या जिस तरह से पी० एम० रिलीफ फण्ड और सी० एम० रिलीफ फाण्ड होते हैं उसी तरह से बुनकरों की ऐसे आपातकाल में मदद करने के लिये कोई रिलीफ फण्ड बनाया जाएगा ?

श्री सभापति : इनके आठ सवाल हो गये हैं । आप अलग अलग जवाब दे दीजिए ।

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, इनके सभी सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगा । पहले मैं जो इन्होंने सबसे लास्ट में क्वेश्चन किया है जनता क्लाथ के बारे में कि उसका कोटा कम तो नहीं कर रहे हैं, उसका उत्तर देना चाहूंगा । महोदय, अभी बुनकरों की हालत को देखते हुए जो टारगेट 450 मिलियन मीटर का था, जनता क्लाथ बनाने का, वह इस साल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिये कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है ।

श्री सभापति : पहले सप्लाई आफ यार्न का था ।

श्री अशोक गहलोत : उस पर भी आ रहा हूं ।

दूसरा उन्होंने सरकारी महकमों में खरीद की बात कही थी । मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि हमने इस बारे में सारे मंत्रालयों को लिखा है । उसमें

करीब डेढ़ करोड़ के आर्डर मिल चुके हैं हैलवे और होम मिनिस्ट्री से और हमारी कोशिश है कि अन्य विभागों से भी आर्डर मिलें।

तीसरा जो रिजर्वेशन की बात कही है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला होगा, तो हम चाहेंगे कि कुछ आइटम्स हैंडलूम के लिये रिजर्व रहें जिससे उनकी तकलीफ कम हो सके। यार्न के बारे में जो कहा है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दो लाख काटन बेल्स ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है और उम्मीद है कि इससे काफी प्रेशर कम होगा। पिछले तीन महीनों में यार्न की प्राइसेज कम भी हुई है और स्टेबल हुई है। हमारी कोशिश हैं कि यार्न की प्राइसेज स्टेबल रहे।

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों के बुनकरों से संबंधित है। वहां के बुनकर कोसा से जो रेशम का धागा निकलता है उससे कपड़े बनाया करते हैं। उनकी एक मुख्य समस्या यह है कि जो कोसा का कोकून है यदि वह थोड़ा भी खराब हो जाता है तो उससे फाइन धागा नहीं निकाला जा सकता है और ऐसा प्राक्कलन बनाया गया है कि लगभग 80-90 करोड़ रुपये का नुकसान केवल इसलिये होता है कि जो आदिवासी कोसा का कोकून इकट्ठा करते हैं, वह खराब हो जाता है। खराब होने पर इनमें फाइन धागा रेशम का नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में आदिवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ माननीय मंत्री जी से भी मिला था। उनका जो छत्तीसगढ़ बुनकर संघ है उसने बंबई के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक तकनीक तैयार की है जिससे खराब हुए कोसा के कोकून से भी फाइन धागा निकाला जा सकता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब जैसे कि एक ऐसी तकनीक रिसर्च के स्तर पर तैयार हो गई है, क्या उस तकनीक को आप व्यावहारिक धरातल पर कार्यान्वित करने के लिये छत्तीसगढ़ बुनकर संघ और अन्य संघों की कोई आर्थिक मदद करेंगे जिससे यह जो 80-90 करोड़ रुपये का कोकून हर वर्ष बरबाद हो जाता है, उसको बरबाद होने से बचाया जा सके?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उसको मैं दिखाऊंगा और हमारी कोशिश होगी कि हम उनको मदद पहुंचाये।

कुमारी आलिया : माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में बुनकरों के पास तैयार किया गया माल बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है। वह बिक नहीं पा रहा है और उनको कच्चा धागा भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या वे बनकरों की मदद करने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनको कच्चा माल आसानी से मिलता रहे और उनके द्वारा तैयार माल आसानी से बिक जाए? चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में बुनकर रहते हैं। खासकर अकबरपुर जो हमारे फैजाबाद जिले में है, मऊनाथभंजन, आजमगढ़ और मेरठ में बहुत बड़ी तादाद में बुनकर रहते हैं।

श्री सभापति : उन्होंने कहा है कि 1 लाख 45 हजार। यह जवाब में लिखा है। पढ़िये आप, उन्होंने खुद ही यह माना है।

कुमारी आलिया : मेरा दूसरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि जो 6 योजनायें तैयार की गयी हैं, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना, दूसरा निःसहाय बुनकरों के लिये मार्जिन मनी, तीसरा प्रोजेक्ट पैकेज योजना चौथा संशोधित कार्यशाला-सह-आवास योजना, पांचवां संशोधित थ्रिफ्ट फंड योजना और छठा समूह बीमा योजना, तो मैं जानना चाहती हूं कि ये योजनायें कब तक इम्प्लीमेंट हो जायेंगी? ये कागज में ही रहेंगी या इनका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा? यदि होगा तो कब तक होगा यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं?

श्री अशोक गहलोत : चेयर मैन सर, कच्चे माल की पूर्ति के लिए हम लोग एन०एच० डी० सी के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं ताकि धागा समय पर मिल सके। इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक जिन योजनाओं का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि उनको हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे बल्कि हम यह भी चाहते हैं कि कोआपरेटिव सेक्टर स बाहर जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले। यह हमने नयी नीति के अन्तर्गत कोशिश की है। 30 प्रतिशत ऐसे हैं, जो कोपरेटिव सेक्टर में आते हैं। बाकी जो बचे हैं, हमारी कोशिश है कि उनको भी इसमें सम्मिलित करें।

SHRI E. BALANANDAN : Sir, the hon. Minister, in his reply, has said that many schemes are going to be implemented this year and during the Eighth Five-Year Plan. I would like to know what are the schemes being implemented this year. A specific reply may be given by the hon. Minister.

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में जो योजना बताई गई है वह भी हमने इसी साल से प्रारम्भ कर दी है। हमने यह कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम इन योजनाओं को कांटीन्यू रखेंगे। सेवेंथ प्लान में जो चल रही थी उनको मोडीफाई किया गया है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो वालेंटरी आर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू भी हम लोग योजनाओं को इम्पलीमेंट करवा सकें जिसे सहकारिता क्षेत्र के बाहर भी जो बुनकर रह गए हैं उनको भी लाभ मिल सके।

SHRI E. BALANANDAN : What is going to be done in the current year?

MR. CHAIRMAN : You have answered correctly, but he is asking, what are you going to do this year? Are you starting all of them?

श्री अशोक गहलोत : जी हां।

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, मेरा पूरक प्रश्न मंत्री महोदय के उत्तर "ग" से संबंधित है। इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो सर्वेक्षण कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार बहुत सी स्कीम्स को वह इम्प्लीमेंटेशन के लिये ले जायेंगे। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि बिहार में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां बुनकरों की समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत से लोग बेकार हो रहे हैं। ऐसी हालत में आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में बेकारी बढ़ती जा रही है, बुनकर बेकार हो रहे हैं, बिहार जो किसी जमाने में खादी और ग्रामोद्योग का बहुत बड़ा केन्द्र था, वहां बुनकरों की तादाद बहुत ज्यादा थी, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्रों के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रस्ताव है? मेरा प्रश्न "ख" यह है कि भागलपुर में केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक सिल्क का केन्द्र है जहां से एक्सपोर्ट होता था वह बन्द पड़ा हुआ है, क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कुछ प्रस्ताव है जिससे इन दोनों समस्याओं के समाधान मंत्री महोदय कर सकें?

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय, जो योजना हमने प्रस्तावित की है, बिहार के लिये भी सभी योजनाएं लागू होंगी। जो भी प्रस्ताव आएंगे हम पूरा करेंगे। जहां तक भागलपुर का प्रश्न है, मैं उसको दिखवाऊंगा कि वहां क्या समस्या आई थी और मैं इस समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा।

SHRI SARADA MOHANTY : Sir, a huge quantity of bandages is required by medical hospitals. I would like to know whether the weavers are producing those bandages. If not, does the Government propose to produce these bandages through the weavers so that they will be helped in this respect?

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय, कुछ लोग बनाते हैं और वह अस्पतालों में सप्लाई भी

होती है लेकिन हम लोग डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो बन रही है, उसको हम प्रोत्साहन हैंडलूम की तरह से दे रहे हैं ।

Bilateral talks with Pakistan regarding issues relating to fishermen

*84. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2745 given in the Rajya Sabha on 16th March, 1992 and state:

(a) the result of the talks held between the Governments of India and Pakistan regarding the issues relating to fishermen of both the countries;

(b) what is the level at which the talks were held; and

(c) the number of Indian and Pakistani fishermen held in each country and since when they have been in custody?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As a result of the understanding reached during the talks held at Joint Secretary level in January-February 1990 with the Government of Pakistan, both countries follow the practice of repatriating, on humanitarian grounds, apprehended fishermen and vessels to their respective countries on an agreed date.

(c) At present, no Indian fishermen are under detention in Pakistan. Government have also recently issued orders for the immediate release of 120 Pakistani fishermen and fishing vessels seized over the months of November and December, 1991.

Government, however, will still have in custody twenty nine Pakistani fishermen and two fishing boats that had been apprehended in the first week of April, 1992. Their cases are being processed.

SHRI VIREN J. SHAH: Mr. Chairman, Sir, this questions, as you know, arises from a reply to Unstarred Question No. 2745 given in this very House which was connected with the complaint made by Gujarat Porbunder Macchimar Boat Association, not once but several times, about the fishermen from Porbunder and Okha being arrested by Pakistani naval or coast guard vessels and then they are detained for two or three months, causing grave inconvenience and problems to the families as well as to the fishermen. It was in this context that the question was put whether the Government of India could take such steps through the Coast Guard organisation or the Naval authorities, that the fishermen are able to fish. As it is, they are getting caught by the Pakistanis on the ground that they are not fishing in the Indian waters. May I know how many nautical miles we can claim as part of the Indian territorial waters and what steps will be taken to safeguard these fishermen?

SHRI EDUARDO FALEIRO: May I say here, Sir, that after the Unstarred Question referred to in this question was asked and answered in this House, we got all the Indian fishermen and boats in Pakistan released? My information is that our Ministry officials have been in touch with the hon. M.P. and they tried to do the best they could to solve the grievances which were there at that point of time. At the moment there are no Indian fishermen in Pakistani jails and, as for the future, we are devising procedures, to which I will come in a moment. But let me say, Sir, that the problem arises from the fact that there is no demarcated border as such. There is merely a notional border that goes out of the Sir Creek in Gujarat. As to why there is no demarcated border and there is only a notional border, I do not want to go into it unless ...

SHRI VIREN J. SHAH: How many miles?

SHRI EDUARDO FALEIRO: That is normal. There is no problem as far as the miles outside are concerned. The problem comes in the north-south fixing of the boundary line between India and Pakistan. It is not a question of extension. It is a